

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक: -प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/414 दिनांक- 29-01-2026

कार्यालय आदेश

श्री आदित्य शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नम्बर-706597) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय कोषाधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक:-555 दिनांक 03.06.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग की आई डी संख्या 252600024 दिनांक 19.01.2026 से प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डेम दिनांक 06.01.2020 व 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 30.04.2025 से 14.05.2025 तक (कुल 15 दिवस)
चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर
दिनांक 19.05.2025 से 18.06.2025 तक (कुल 31 दिवस)
(कुल 46 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री आदित्य शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। इनकी परिवीक्षाधीन अवधि उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक बढ़ायी जावेगी।

उक्त निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)

क्रमांक: -प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/414
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 29-01-2026

1. कोषाधिकारी अजमेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. श्री आदित्य शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नम्बर-706597) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय कोषाधिकारी अजमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.29 12:02:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20085026
eSign 1.0

